

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15052026-272604
SG-DL-E-15052026-272604असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 37
No. 18]	DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948	[N. C. T. D. No. 37

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2026

सं. 40/नियम/डीएचसी.— भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा डाक उत्पादों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, जिसके द्वारा "पंजीकृत डाक" सेवा का परिचालन दक्षता, ट्रैकिंग क्षमता और ग्राहकों की सुविधा में सुधार के लिए उभरती संचार आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुरूप "स्पीड पोस्ट" सेवा में विलय किया जा रहा है; दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि "पंजीकृत डाक" शब्द जहाँ कहीं भी दिल्ली के जिला न्यायालयों से संबंधित और इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए किन्हीं भी नियमों, अधिसूचनाओं, व्यवहार निर्देशों और आदेशों आदि में आते हैं, तो उन्हें भारत सरकार के संचार मंत्रालय

के डाक विभाग द्वारा अधिसूचित "पंजीकृत डाक" सेवा के "स्पीड पोस्ट" में विलय की तिथि से "स्पीड पोस्ट" के रूप में पढ़ा जाएगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2026

No. 40/Rules/DHC.—Consequent upon rationalization of Mail Products by the Department of Posts of Ministry of Communications, Government of India, whereby the “Registered Post” service is being merged into the “Speed Post” service to improve operational efficiency, tracking capability and customer convenience in line with evolving communication needs and technological advancements, the High Court of Delhi in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi with the previous approval of the Lt. Governor, Delhi, hereby notifies that the words “Registered Post” wherever, they occur in any Rules, Notifications, Practice Directions and Orders etc. relating to District Courts of Delhi and issued by this Court be read as “Speed Post” with effect from the date of merger of “Registered Post” Service into “Speed Post” as notified by the Department of Posts, Ministry of Communications, Government of India.

By Order of the Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General